नि0/1045/14/14

देवकरण पिता श्री पीरूलाल जाति कुमावत्
आयु **56** वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम
बरखेडी जागीर तहसील घट्टिया जिला उज्जैन
म0प्र0 - निगरानी कर्ता

विरूद्ध

1 - अन्तरसिहं पिता धूलसिहं
2 - बनेसिहं 3 - बनेसिहं, 4 - हाकमसिहं
पुत्र गण अन्तरसिहं जाति राजपूत निवासीगण
ग्राम बरखेडी जागीर तहसील घट्टिया जिला
उज्जैन म0प्र0 - विपक्षीगण

(16)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1045–एक / 14

जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–14	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण के बाद वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता को देखते हुए अंतरिम रास्ता खुलवाना अस्वीकार किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध निगरानी ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	